

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 29.10.2020

थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत 01 नफर अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर के कुशल नेतृत्व में थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.10.2020 को अवैध पटाखा बनाने वाले को मय अवैध पटाखा, अनार, फुलझड़ी, चकरी, पटाखा, राकेट, फायर शट, आदि कुल 293.400 किग्रा0 के साथ अभियुक्त शीलू त्रिवेदी पुत्र स्व0 हरिशचन्द त्रिवेदी निवासी शिवाजी नगर सुखाई तालाब पुखरायां थाना भोगनीपुर का0दे0 उम्र करीब 35 वर्ष को थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 533/2020 अन्तर्गत धारा 5क/9ख विस्फोटक अधिनियम में गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शीलू त्रिवेदी पुत्र स्व0 हरिशचन्द त्रिवेदी निवासी शिवाजी नगर सुखाई तालाब पुखरायां थाना भोगनीपुर का0दे0 उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

अनार, फुलझड़ी, चकरी, पटाखा, राकेट, फायर शट, आदि कुल 293.400 किलोग्राम ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अतुल गौतम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. उ0नि0 करवेन्द्र कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. का0 554 नितिन कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
5. का0 399 पालेन्द्र सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
6. का0 201 नरेन्द्र राणा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
7. म0का0 1238 कृष्णा देवी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
8. का0 882 कुसुमवीर सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
9. का0 15 विपिन कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।